अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद संख्या : 316/2020

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत)

इन्द्रदेव गुप्ता | -: बनाम :- | जानकी विश्वकर्मा वगैरह

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
11.06.2024	थाना प्रभारी, तिसरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर मौजा खिजुरी, खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 555, रकवा 5.70 एकड़ के मद्ये 0.71 एकड़ को लेकर जारी विवाद के संबंध में सुनवाई प्रारंभ की गई। अंचल अधिकारी, तिसरी के पत्रांक 19, दिनांक 18.01.2021 के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 555, रकवा 5.70 एकड़ सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 555, कुल रकवा 5.70 एकड़ के मद्ये 1.00 एकड़ आवेदिका के ससुर मुंशी मिस्त्री को केवाला से प्राप्त है। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि केवाला से प्राप्त भूमि पर उचित चौहदी के अनुसार जागो साव पिता दयाल साव दखलकार हुए और उनकी मृत्यु के पश्चात इन्द्रदेव गुप्ता-भानु गुप्ता बँटवारा से प्राप्त भूमि पर दखलकार हुए और जिसपर द्वितीय पक्ष जबरन नींव काटकर दखल करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष द्वारा केवाला संख्या 10998, दिनांक 23.09.1983 के द्वितीय पक्ष के डीड को फर्जी बताया तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा निरपेक्ष करने की मांग की। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 555 के कुल रकवा 5.70 एकड़ के अंश 1.00 एकड भूमि को निबंधित केवाला संख्या 10998, दिनांक 23.09.1983 को प्रथम पक्ष के जागो साव से द्वितीय पक्ष के पिता ने क्रय किया और तबसे दखल-कब्जा रहा तथा सरकारी लगान का भुगतान भी किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के खरीदगी भूमि से बेदखल करने का प्रयास वो तंग-तबाह किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के आरोप को निराधार बताकर जारी निषेधाज्ञा को	

स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से खतियान एवं खरीदगी दस्तावेज के आधार पर अपना–अपना दावा करने वाले पक्षकारों के विवाद का निदान इस कार्यवाही के तहत न होकर सक्षम न्यायालय के अधिकार का विषय रहना स्पष्ट है, तद्नुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

19/6/2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

19/6/2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:19:22 +05:30
Location: 192.168.1.3